

[2023] 4 एस. सी. आर 848

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

जीओवीटी। ओ. एफ. एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनाम

दिनेश कुमार और ए. एन. आर. (2023 की सिविल अपील संख्या 3151) अप्रैल 28, 2023

/

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013: धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण, जब समाप्त हो गया माना जाता है-रिट याचिकाकर्ता द्वारा लिखित याचिका जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि विषय भूमि से संबंधित अधिग्रहण कार्यवाही को धाराओं को देखते हुए समाप्त माना जाता है। 24(2) - उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिग्रहण इस आधार पर समाप्त हो गया है कि मुकदमा भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था-स्थिरता-आयोजित:पोषणीय नहीं-विवादित भूमि का कब्जा 31.12.2013 पर पंचनामा बनाकर लिया गया था-आवेदन करना

/

/

इस न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण में जोड़ा गया विधि

कब्जा न लेने और मुआवजे का भुगतान न करने की शर्तों को पूरा करना होगा-इस प्रकार, यदि एस के दो घटकों में से एक है। 24(2) यदि पूरा नहीं किया जाता है, तो अधिग्रहण में कोई चूक नहीं मानी जाएगी। 24(2) - इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।

/

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य,

(2020) 8 एस. सी. सी. 129; [2020] (3) एस. सी. आर. 1-इसके बाद आया।
संदर्भित निर्णय

/

[2020] (3) एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा **4**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील No.3151।

2016 के डब्ल्यूपीसी No.4954 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.07.2018 के निर्णय और आदेश से।

/

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुश्री प्राची बाजपेयी।

जसवंत सिंह रावत, विरेंद्र सिंह तोमर, सुश्री इक्षिता परिहार, सुश्री मनिका त्रिपाठी, आशुतोष कौशिक, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

848

849

जीओवीटी। ओ. एफ. एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनामदिनेश कुमार और ए. एन. आर.

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 4954 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 2. प्रश्नार्थी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में विवादित भूमि का कब्जा 31.12.2013 पर लिया गया था और इसलिए, इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार

/

/

(2020) 8 एस. सी. सी. 129 में रिपोर्ट किए गए बनाम मनोहरलाल और अन्य अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण की कोई चूक नहीं मानी गई।

/

2.1 दूसरी ओर, मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वास्तविक/भौतिक कब्जा मूल रिट याचिकाकर्ता के पास है और केवल एक कागजी कब्जा लिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कब्जा भी कथित रूप से 31.12.2013 पर लिया गया है और उससे पहले अधिनियम, 2013 लागू हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि न तो मुआवजे का भुगतान किया गया था और न ही कब्जा लिया गया था, इसलिए अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण की चूक मानी जाएगी।

/

/

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि प्रश्न भूमि का कब्जा 31.12.2013 पर ले लिया गया था। यह अधिनियम, 2013 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2014 से लागू हुआ है। इसलिए, जिस तारीख को अधिनियम, 2013 लागू हुआ, उस तारीख को कब्जा पहले ही ले लिया गया था।

/

3.1 प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि केवल एक कागजी कब्जा लिया गया था और वास्तविक/भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्न भूमि का कब्जा खींचकर लिया जाता है

/

850

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

पंचनामा जिसे इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार कब्जा लेने का कानूनी तरीका माना जाता है। इसलिए, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना

होगा कि प्रश्न भूमि का कब्जा ले लिया गया था।यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में आगे बढ़कर इस बात पर विवाद नहीं किया है कि प्रश्न भूमि का कब्जा 31.12.2013 पर लिया गया था।हालाँकि, इसके बाद, इस आधार पर कि मूल रिट याचिकाकर्ता को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है/निविदा नहीं दी गई है, इस प्रकार, अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के दो घटकों में से एक को पूरा किया जाता है, उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण को समाप्त माना जाता है।उपरोक्त तर्क और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष इंदौर विकास के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के बिल्कुल विपरीत हैं।

/

/

प्राधिकरण (ऊपर)।इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में

(ऊपर), यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत मानित चूक के लिए, कब्जा नहीं लेने और मुआवजे का भुगतान नहीं करने की दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।इसलिए, यदि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के दो घटकों में से एक को पूरा नहीं किया जाता है, तो अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण की कोई चूक नहीं मानी जाएगी।

/

4. इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में घोषणा की गई है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिग्रहण को व्यपगत माना जाता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

/

/